(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–950–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–02–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक–439/ए–74/निग0/2010–11

.....

1– श्यामलाल पिता विश्वनाथ

2– मु0 मुण्डी विधवा पत्नी विश्वनाथ

3– अरूणेन्द्रशेखर पिता रामस्वरूप

4– मु0 रामकली विधवा पत्नी रामस्वरूप

निवासीगण–ग्राम बेलहाई, पो0आ0 रतनगवां

थाना व तहसील मऊगंज, जिला–रीवा, म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

भोलाप्रसाद तनय सम्पत्ति

निवासी–ग्राम बेलहाई, पो0आ0 रतनगवा

थाना, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा, म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री अरूणेन्द्र शेखर कुशवाह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शिवनाथ साकेत, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बेलहई स्थित प्रश्नाधीन भूमि आराजी क्रमांक 66 रकबा 2.32 एकड़ का व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक

78/अ–19/1980–81 आदेश दिनांक 08.01.1987 द्वारा लालमणि व रामाश्रय पटेल के नाम स्वीकार किया गया था, जिसकी अपील विश्वनाथ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के समक्ष की गई थी। अपील में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण क्रमांक 5/अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 27.07.90 को तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन का आदेश को निरस्त किया गया । जिसकी अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा में हुई । आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 22/89–90 में दिनांक 29.07.1992 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि दिनांक 18.06.1991 को पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अनावेदक भोलाप्रसाद के हक में हस्तांतरण एवं नामांतरण हो चुका है। अतः इस प्रकरण में जांच कर उचित कार्यवाही की जावे। आयुक्त रीवा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर ने अपने प्रकरण क्रमांक 686/अ–74/2004–05 में दिनांक 19.12.2005 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 29.07.1992 के अनुसार बोलता हुआ आदेश पारित करें। तहसील न्यायालय ने प्रकरण में पुनः कार्यवाही करते हुये तहसीलदार, मऊगंज ने प्रकरण में दिनांक 31.05.2007 को आदेश पारित किये हुये को निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 362/अ–74/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2011 द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 31.05.2007 निरस्त किया एवं प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 439/अ–74/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यवर्तन आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 14.02.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य आधार लिया है कि अपर कलेक्टर रीवा का आक्षेपित आदेश विधि नियम प्रक्रिया से दूर तथ्यों एवं साक्ष्य के विवेचना के परे है। प्रकरण में अनावेदक भोलाप्रसाद को हितबद्ध पक्षकार निरूपित करते हुये, उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने हेतु निर्देशित किया गया । यहां तक

कि अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 686 / अ—74 वर्ष 2004—05 आदेश दिनांक 19.12.2005 पक्षकार भोलाप्रसाद विरूद्ध विश्वनाथ में निगरानी अपास्त की जाकर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 29.07.92 प्रकरण क्रमांक 22 / 89—90 का पालन करने का निर्देश दिये जाने का भी कोई हवाला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने लिखित तर्क में यह भी आधार लिया है कि अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज द्वारा पारित आदेश में की गई त्रुटि को किसी तरह भी स्पष्ट नहीं किया गया, जबकि अनावेदक भोलाप्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 01 नियम 10, आदेश 18 नियम 26 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, आदेश 22 नियम 4, आदेश 22 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा धारा 5 अवधि अधिनियम बंटन भूमि आवेदन पत्र जो सब अनावेदक के थे, उन सबका का जवाब आवेदकगण की ओर से दिनांक 25.05.2010 को दिये गये थे, जिनका कोई विनिश्चय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, जबकि अन्तर्वर्ती आवेदन पत्रों का निराकरण सर्व प्रथम किया ही जाना चाहिये था। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्क में यह भी आधार लिया है कि आवेदकगण के पूर्वज विश्वनाथ प्रसाद द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 66 रकबा 2.32 एकड़ के लिये स्वत्व घोषणा का वाद संस्थित किये जाने व विक्रय पत्र दिनांक 25.11.88 एवं 18.06.91 को शून्य घोषित कराने का वाद निरस्त किये जाने उल्लेख किया है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदकगण की ओर से अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज के आदेश दिनांक 17.12.2004 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से प्रथम अपील क्रमांक 238 / 2005 विचाराधीन है। इस स्थिति में अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज का निर्णय अंतिम नहीं था तथा निर्णय का कोई लाभ अनावेदक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिला नहीं था। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपर कलेक्टर रीवा के आक्षेपित आदेश दिनांक 14.02.2012 के साथ अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज का अपीलीय आदेश दिनांक 08.07.2011 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया । आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह तर्क लिया गया है कि अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 686/अ–74 वर्ष 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 द्वारा पक्षकार भोलाप्रसाद विरूद्ध विश्वनाथ में निगरानी अपास्त की जाकर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 29.07.92 एवं प्रकरण क्रमांक 22/89–90 का पालन करने के निर्देश दिये जाने का भी कोई हवाला अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा नहीं दिया गया, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा ने आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 22/89–90 में दिनांक 29.07.1992 को जो आदेश पारित किया गया था उसका हवाला देते हुये ही विधिनुकूल कार्यवाही कर तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण वापस भेजा कि आयुक्त रीवा के आदेशानुसार दिनांक 18.06.1991 को पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अनावेदक भोलाप्रसाद के हक में हस्तांतरण एवं नामांतरण हो चुका है, जिसकी जांच कर विधिनुसार कार्यवाही करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जावे । तहसील न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार मऊगंज द्वारा दिनांक 31.05.2007 को ग्राम बेलहई के आराजी क्रमांक 66 रकबा 2.32 एकड़ मध्यप्रदेश शासन के हक में बहाल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी अपील पुनः अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 362/अ–74/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2011 को तहसीलदार मऊगंज, जिला–रीवा का आदेश दिनांक 31.05.2007 निरस्त किया और प्रकरण प्रत्यावर्तित कर विधि अनुसार एवं उचित जांच कर प्रकरण का निराकरण किये जाने को निर्देशित किया गया ।

वर्तमान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 238/2005 का भी अवलोकन किया गया है जिसमें अनावेदक भोलाप्रसाद को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है किन्तु तहसील न्यायालय मऊगंज में भोलाप्रसाद को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 31.05.2007 को आदेश पारित किया गया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं है । विचारण न्यायालय में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा पारित किया गया प्रत्यावर्तित का अ देश उचित एवं न्य यसंगत प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार ीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 14.02.2012 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,